सिक्किम में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (इंडिया रीजन –III) का 19 वां सम्मेलन शुभारंभ समारोह में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन –III के 19 वें सम्मेलन में आज हमारे बीच में राज्य सभा के उपसभापति, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. हरिवंश जी, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, सीपीए रीजन जोन – III के अध्यक्ष और अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री पसंग सोना जी, सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष, जो जोन-III की मेजबानी कर रहे हैं, श्री अरुण कुमार उप्रेति जी, राज्य विधान सभाओं के माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा और राज्य सभा के हमारे माननीय सांसदगण, सिक्किम सरकार के मंत्रिगण और नॉर्थ-ईस्ट विधान मंडल के माननीय सदस्यगण, राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।

मैं सबसे पहले सीपीए रीजन-III के चेयर पर्सन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सीपीए रीजन के लगातार, हर वर्ष, विभिन्न मुद्दों, विभिन्न विषयों पर सम्मेलन आयोजित किया है। पूरे देश में सीपीए रीजन-III की सक्रियता लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और किस तरह से नॉर्थ-ईस्ट के मुद्दों एवं देश के मुद्दों पर चर्चा करके उनका समाधान हो, इस पर उनकी सक्रियता के लिए वर्तमान चेयरमैन सोना जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।

यह प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के लिए, देश का सबसे ऊंचा पहाड़, नदियां, झीलें, झरने, प्राकृतिक सौंदर्य वाला प्रदेश है। जहां उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, वहीं यहां पर रहने वाले लोगों की कोमलता है। यह एक ऐसा प्रदेश है, जो भारत के सपनों को पूरा करना चाहता है। जैविक खेती, पर्यावरण और अन्य, जिन पर लगातार राज्य के विधान मंडल चर्चा करते रहते हैं कि हम किस तरह से विश्व के उन सभी पैरामीटर्स में सबसे उत्कृष्ट हों। इस दिशा में इस राज्य ने विशेष रूप से प्रगति की है। इसके लिए मैं राज्य के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जैविक संरक्षण, जैविक खेती और पर्यावरण, जिनके लिए पूरा विश्व चिंतित है, उन कार्यों में उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। जोन-III वह संगठन सीपीए का है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा

होगी, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश के लोकतंत्र को सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें। ये संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह हों। हम शासन और प्रशासान में पारदर्शिता लाएं। इनकी चर्चा और संवाद से जो निष्कर्ष निकलें, जो फैसलें हो, उनसे इस सारे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक कल्याण की दिशा बने। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो हमारा महत्वपूर्ण् क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है, मंत्रालय बनाया है। किस तरह से पूर्वोत्तर की सम्सयाओं का समाधान हो, वह निश्चित समय में हो, चाहे इनफ्रास्ट्रक्चर में हो, सामाजिक विकास में हो, आर्थिक तंत्र मजबूत हो, यहां के लोगों की आर्थिक आमदनी बढ़े, उसके लिए भी नरेन्द्र मोदी जी ने एक विजन के आधार पर काम करने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या एयर कनेक्विटी हो, विशेष रूप से सिक्किम में इनफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल किए गए हैं। निश्चित रूप से हम सभी का एक प्रयास रहता है कि इन विधान मंडलों की चर्चा – संवाद और बनने वाले कानूनों से हम लोगों के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के साथ-साथ इस देश को विश्व की सबसे अग्रिम पंक्ति में लाने का काम करें। क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की विशालता है, विविधता है। यहां विविध संस्कृति है। यह हमारी ताकत है। इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने चर्चा-संवाद से कानून बना कर देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक नया दौर शुरू किया है। यह अमृत महोत्सव हमारे लिए यहां की आर्थिक-सामाजिक प्रतिबद्धता है और लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत और जवाबदेह बनाने की प्रतिबद्धता भी है।

मुझे बहुत खुशी है कि नॉर्थ-ईस्ट की विधान मंडलों में व्यापक चर्चा-संवाद होता है, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी होती है और सबसे कम गतिरोध होता है। कई विधान मंडलों में कभी गतिरोध ही नहीं हुआ है। यह एक अच्छी परंपरा है, अच्छी परिपाटी है। हम सदन की गरिमा को बनाए रखें, अच्छी परंपराओं को लागू करें। इसके लिए समय-समय पर हमारे राज्य विधान मंडल के अध्यक्षों के सम्मेलन में इन पर बहुत लंबी चर्चा-संवाद होती है। सीपीए भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है। उन मुद्दों के अन्दर, विधान मंडलों और उनके जनप्रतिनिधियों की क्या भागीदारी हो ताकि उन मुद्दों का समाधान हो। जहाँ कानून बनाना आवश्यक हो, तो वहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया सरकार शुरू करे, इसके लिए सुझाव दिये जाते हैं ताकि उन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान इन विधान मंडलों में चर्चा-संवाद से हो। इसी तरह से, सीपीए इंडिया रीजन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गये हैं, मादक पदार्थों के सेवन पर, विधान मंडलों में जनता की सक्रिय

भागीदारी हो और किस तरह से, हम साइबर बुलिंग के बारे में जन-चेतना के माध्यम से या कानून बनाकर इसके लिए भी देश की जनता और विधायिकाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो दिनों तक चर्चा-संवाद करेंगे।

मादक पदार्थों का सेवन देश के लिए चिन्ता का विषय है, हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। इसीलिए देश की लोकतांत्रिक संस्था- संसद के अन्दर, दो दिनों तक 20 और 21 दिसम्बर को, इस विषय पर चर्चा हुई। इसमें सभी दलों के माननीय सदस्यों ने, लगभग 53 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, इस पर मंथन हुआ, सकारात्मक चर्चा हुई, संवाद हुआ, माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव रखे। सरकार भी इस पर प्रतिबद्धता के साथ, सभी राज्य सरकारों के साथ, इस विषय पर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। देश के गृह मंत्री जी ने सभी विषयों पर गंभीर चर्चा का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को नशा-मुक्त बनाएं। नशा-मुक्त बनाने में, सभी राज्य सरकारों की भागीदारी हो और जनता की भागीदारी हो, विशेष रूप से इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो। आज इसी विषय पर मंथन होगा कि विधान मंडल के माननीय सदस्य किस तरह से, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके, जहाँ राज्यों में कानून बनाने की आवश्यकता है, वहाँ कानून बनाए जाएं, जहाँ राज्यों में जितनी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन किया जाए। हमारे नौजवान विद्यार्थियों के साथ लोकतांत्रिक संस्थाएं चर्चा-संवाद करें। हमारी जो भावी पीढ़ी है, वह हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। आज दुनिया में, हमारे नौजवानों ने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने इनोवेशन, नये रिसर्च, नई सोच, नई चिन्तन से, आज भारत के नौजवान नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे नौजवान हैं। हमारे नौजवानों को संस्कारित करना, उनको सही दिशा देना हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह है, नॉर्थ-ईस्ट प्रदेशों के विधान मंडलों के अध्यक्षगण और सदस्यगण भी यहाँ आए हैं, हम एक व्यापक कार्य-योजना बनाने पर विचार करें। इस लक्ष्य के साथ, जैसे सिक्किम ने वर्ष 2016 में, इसे जैविक प्रदेश बनाने का काम किया, उसी तरह से, अपने-अपने प्रदेशों में विभिन्न विधान मंडल चर्चा-संवाद और संकल्प के साथ काम करें और सोचें कि मेरा राज्य नशे से मुक्त है, जब सभी राज्य सामूहिकता से अपने-अपने राज्यों को नशा-मुक्त बनाएंगे, तो इससे देश नशा-मुक्त होगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए।

इसी के साथ-साथ, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है- विधान मंडलों के अन्दर जनता की सक्रिय भागीदारी, विधान मंडलों और जनता के बीच में एक व्यापक संवाद-चर्चा हो, जनता की पहुंच विधान मंडल तक हो। यह आज़ादी के 75 वर्षों के बाद, इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब भी संसद और विधान मंडलों के अन्दर कानून बनते हैं, कानून बनाते समय, जो चर्चा-संवाद होनी चाहिए, उसमें कहीं-न-कहीं कमी आ रही है। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कानून बनाते समय, चर्चा-संवाद करते समय, जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ हो। जब कानून बने, तो कानून बनाते समय, उसमें जनता का सक्रिय योगदान हो, वह अपने-अपने जनप्रतिनिधियों को कानून बनाने में आवश्यक सुझाव दें। जनप्रतिनिधि विधान मंडल और केन्द्रीय विधान मंडल में, अपने चर्चा-संवाद के दौरान उनके बताए गए विषयों पर चर्चा करें। इसी तरह से, चर्चा-संवाद के अन्दर भी, जितनी भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की होगी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की होगी, उतना ही हम जनता की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं, उनकी परेशानियों और कठिनाइयों को सदन में रख पाएंगे। यदि उनके समाधान का कोई रास्ता है, तो हमारे विधान मंडल हैं, जो जनता की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, चाहे प्रोद्यौगिकी का उपयोग करें, आईटी के तंत्रों का उपयोग करें, स्कूल-कॉलेजों में जन-संवाद हो, युवा संसद का आयोजन हो और केवल मतदाता ही नहीं, बल्कि भावी मतदाता की भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं तक सीधी पहुंच हो और उनकी भागीदारी बढ़े।

मेरी अपेक्षा है कि जितनी सक्रिय भागीदारी जनता की बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा, जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह होंगे, शासन-प्रशासन में भी पारदर्शिता आएगी, कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित होगी। जो नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ जनता को भी मिले, यदि उनके इनपुट भी जनता देगी तो हम योजना, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में भी सदनों में चर्चा कर पाएंगे। हमने जो कानून बनाए हैं, उनका कितना लाभ जनता को मिला, जनता की जितनी सक्रिय भागीदारी होगी, उतनी हमारे राज्य विधान मंडलों और केन्द्रीय विधान मंडल में चर्चा-संवाद का स्तर भी बढ़ेगा और इससे उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और कठिनाइयों का समाधान भी इन संस्थाओं के माध्यम से निकाला जाएगा।

तीसरा विषय, जो हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। हमारे उप सभापति जी ने उस पर अच्छी तरह से अपने विचार रखे कि आईटी का जितना उपयोग है, उतना ही गलत दिशा में उसके

उपयोग से देश-प्रदेशों को नुकसान भी होता है। इसलिए आईटी का उपयोग हमारे दिनचर्या के लिए आवश्यक है, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता के लिए उपयोगी है। लेकिन इसके साथ-साथ जो दूसरे पहलू भी हैं, उन पर भी जनता को सचेत करने की जिम्मेदारी इन विधान मंडलों और जनप्रतिनिधियों की है। इसलिए, साइबर बुलिंग जैसे विषय पर भी हमें व्यापक चर्चा और संवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सब विषय महत्वपूर्ण हैं। हर विषय पर जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के बीच में जाएंगी, उतना ही बेहतर शासन होगा और उतनी ही शासन प्रणाली बेहतर बनेगी, पारदर्शिता आएगी। इसलिए, साइबर बुलिंग जैसे विषय पर भी आने वाली पीढ़ियों को हमें सचेत करना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा, ताकि हम इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का सही दिशा के अंदर उपयोग करें और उसका लाभ हमको मिले, उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी विशेष काम हमें काम करना होगा।

मुझे आशा है कि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की 140 करोड़ जनता से अपेक्षा की है कि यदि भारत को समृद्ध, समर्थ और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबको मिलकर काम करना होगा। सबके सहयोग से हमें काम करना होगा। देश के वे राज्य, जो कभी पिछड़े थे, आभाव में थे, उनको भी मुख्य धारा में लाकर दूसरे राज्यों के समकक्ष खड़ा करना होगा। उनके आकांक्षी जिलों को भी विकसित जिलों के समकक्ष लाकर खड़ा करना होगा। देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। ऐसा करने से हम भारत को समृद्ध और विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। इसके लिए विधान मंडलों और माननीय जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से भूमिका है।

मुझे आशा है कि जी-20 और इसके बाद पी-20 का सम्मेलन, जहां हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला सकते हैं। हमारे जीवन पद्धतियों के अंदर लोकतंत्र है और हमें आशा है कि दुनिया भी यह मानती है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र है। यह भारत की प्राचीनतम पद्धति है, जैसा कि अभी श्री प्रेम सिंह जी ने कहा कि किस तरीके से हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी पुरानी है। उसी तरीके से हम अपनी प्राचीनतम लोकतांत्रिक पद्धतियों के उदाहरण पेश करें, तो सभा-समितियां इसी तरीके से चर्चा और संवाद करती थीं, नियम-प्रक्रियाएं बनाती थी और पूरी जनता उनको मानती थी। मुझे आशा है कि इस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और जी-20 और पी-20 हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ताकि दुनिया को हम अपनी सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक पद्धति और उसके माध्यम से हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन

की दिशा दे सकें। मुझे आशा है कि दो दिवसीय यह पूर्वोत्तर राज्यों का सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा और यहां हुई चर्चा और संवाद के बाद जो निर्णय, जो फैसले होंगे, उन फैसलों से जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन तो आएगा, लेकिन जो सामाजिक बुराई समाज में बढ़ रही है, उसको हम रोक भी पाएंगे और उसको समाप्त भी कर पाएंगे। लोकतंत्र में भागीदारी बढ़े, इस विष्य पर भी हमारे पास कई सुझाव आएंगे। इन तीनों विषयों पर जो संवाद और चर्चा होगी, उसका एक विस्तृत पेपर बनेगा। कनसाइस के आधार पर फैसले होंगे। उन फैसलों पर देश के सभी राज्य के विधान मंडल और सीपीए के जोन्स भी अन्य सारे मुद्दों को लेकर सीपीए जोन के सभी मुद्दे और सीपीए रीजन भारत एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उन सारे मुद्दों पर किस तरीके से हमें एक व्यापक कार्य योजना, दिशा बनाकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम इन मुद्दों का समाधान करेंगे और देश और राज्यों की सरकारों को व्यापक रूप से सुझाव देंगे, ताकि राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी उन तरीके की नीतियां, योजनाएं और कानून बनाकर इस देश में सामाजिक बदलाव ला सकें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं पुन: सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण कुमार उप्रेती जी को धन्यवाद देता हूं। राज्य के मुख्य मंत्री जी ने सीपीए जोन के प्रतिनिधियों का जो स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।